शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा मिशन नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स (यूआईजी) कार्यांश के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं कार्यक्रम के एक्स्टेन्डेड फेज़ के अन्तर्गत प्रस्तावित नई परियोजनाओं की स्वीकृति के सम्बंध में मा0 मंत्रीजी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में "गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति" ("स्टेट लेवेल स्टियरिंग कमेटी") की दिनांक 14.06.2013 को सम्पन्न 15 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

सर्वश्री-

1. लालजी टण्डन, मा0 सांसद, 64, सोंधी टोला, चौक, लखनऊ।
2. डॉ0 राम शंकर कठेरिया, मा0 सांसद, 1-टीचर्स होम विश्वविद्यालय परिसर, खन्दारी, आगरा।
3. राजेन्द्र अग्रवाल, मा0 सांसद, 94/8 शास्त्री नगर, मेरठ।
4. अरूण द्विवेदी, प्रतिनिधि, मा0 श्री प्रकाश जायसवाल, सांसद/कोयला मंत्री।
5. इन्द्रजीत आर्य, मा0 महापौर, आगरा।
6. रवीन्द्र भड़ाना, मा0 विधायक मेरठ।
7. रीता बहुगुणा जोशी, मा0 विधायक, लखनऊ-कैण्ट।
8. सतीश कुमार निगम, मा0 विधायक कल्याणपुर-कानपुर।
9. योगेन्द्र उपाध्याय, मा0 विधायक, आगरा-दक्षिणी।
10. मो0 रेहान, मा0 विधायक, लखनऊ-पश्चिम।
11. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, मा0 विधायक, कानपुर-कैण्ट।
12. सलिल विश्नोई, मा0 विधायक, कानपुर-आर्यनगर।
13. सतीश महाना, मा0 विधायक महाराजपुर-कानपुर।
14. कलराज मिश्र, मा0 विधायक, लखनऊ-पूर्व।
15. सत्यदेव पचौरी, मा0 विधायक, कानपुर-गोविन्दनगर।
16. शारदा प्रताप शुक्ला, लखनऊ-सरोजनीनगर।
17. सी0बी0 पालीवाल, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. संजीव कुमार, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. अरविन्द कुमार द्विवेदी, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य।
20. राजीव अग्रवाल, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
21. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
22. वी.के.एल. श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
23. राकेश कुमार, विशेष सचिव, परिवहन, उ0प्र0 शासन।
24. दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग।
25. शिव जन्म चौधरी, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
26. नरेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 शासन।
27. ओ.पी. वर्मा, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0।
28. दिनेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
29. उमाकान्त त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
30. राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
31. अब्दुल समद, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
32. ए.के.मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
33. सुखेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।

34. कृष्ण कुमार अग्रवाल, टीम लीडर(पीएमयू), स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
35. आर.एन.डे, पी.डब्लू एण्ड पी.एच.ई., स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
36. के.पी. सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मथुरा।
37. एस.के. गुप्ता, मुख्य अभियन्ता(आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
38. पी.के. सिन्हा, मुख्य अभियन्ता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
39. आर.के. द्विवेदी, मुख्य अभियन्ता(वाराणसी क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
40. वी.पी.सिंह, मुख्य अभियन्ता(इलाहाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
41. प्रेम आसूदानी, मुख्य अभियन्ता(गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
42. राजेन्द्र कुमार, मुख्य अभियन्ता(लखनऊ) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
43. राकेश चन्द्र वर्मा, मुख्य अभियन्ता(कानपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
44. जावेद अहमद अन्सारी, महाप्रबन्धक, गो.प्रदू.नि.इकाई, उ0प्र0 जल निगम।
45. ए.के. त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता(जेएनएनयूआरएम), उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।
46. जगदेव सिंह, अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक), उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।
47. महेश चन्द्र त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
48. डी.के. गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक, गो.प्रदू.नि.इकाई, उ0प्र0 जल निगम।
49. मो0 आसिफ, बैराज इकाई, कानपुर।
50. बी.के.सिंह, परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई-।।।, कानपुर।
51. मुकेश कुमार, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
52. ए.के. सक्सेना, महाप्रबन्धक, आगरा।
53. एस.के. बंसल, परियोजना प्रबन्धक, गो.प्रदू.नि.इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
54. पीयूष पंकज, अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक इकाई, आगरा।
55. अमित चन्द्रा, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
56. रामवृक्ष भारती, अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
57. वी.डी. मिश्र, सहायक परियोजना आयुक्त।
58. एम.के. भट्ट, परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
59. ए.पी. यादव, परि.प्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
60. ए.के. राय, महाप्रबन्धक(नि.-8) सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
61. जी.एस. गुप्ता, सहायक अभियन्ता(पी), स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
62. अनुप द्विवेदी, एम.आई.एस. एक्सपर्ट, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
63. चन्द्र शेखर मिश्रा, एम.एफ.ओ., स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
62. बालकेश्वर मौर्या, एम.एफ.ओ., स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के उद्देश्य व लक्ष्य से समिति को अवगत कराया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा समिति दिनांक 12.05.2012 को सम्पन्न 14वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कृत कार्यवाही का अपेक्षित सारांक्ष प्रस्तुत किया गया।

2- निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 मिशन शहरों- आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं मथुरा में कुल 33 परियोजनाएं लागत

₹ 5366.81 करोड़ स्वीकृत की गई है एवं परियोजनाओं हेतु निर्धारित केन्द्रांश ₹ 2696.60 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2314.53 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है। उक्त मिशन शहरों में नगरीय सुधार पूर्ण हो जाने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा पूर्व में रोकी गई विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष 10 प्रतिशत की धनराशि ₹ 252.31 करोड़ को दिनांक 03.01.2012 को हुई सी.एस.एम.सी. की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया था, परन्तु उक्त धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण तथा कार्यक्रम के समापन की तिथि 31 मार्च, 2014 तक निमार्णाधीन परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त धनराशि को अपने स्तर से मार्च, 2013 में अवमुक्त किया गया। उक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त ₹ 5038.39 करोड़ के सापेक्ष ₹ 4322.07 करोड़ व्यय हुआ है। यह भी अवगत कराया गया कि क्रियान्वित कुल 33 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 29 परियोजनाओं की प्रगति व पूर्ण किये जाने की प्रस्तावित तिथि से भी बैठक में अवगत कराया गया।

3– समिति के सदस्यगण द्वारा अपेक्षा की गई कि पाइप लाइन (सीवर/पेयजल) उचित गहराई पर बिछाई जाय एवं निमार्ण कार्य निर्धारित गुणवत्ता से कराये जांय तथा पाइप लाइन बिछाये जाने के पश्चात ट्रेंच का समुचित कम्पैक्शन कराये जाने के बाद सम्बंधित सड़कों की पुनर्स्थापना सड़क की पूरी चौड़ाई में करायी जाय। यह भी अपेक्षा की गई कि पेयजल की पाइप लाइन नालों/सीवर से यथासम्भव दूरी पर मानकानुसार बिछाई जाय तथा सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य, पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य से सम्बंधित ठेकेदार से न कराया जाय अपितु इस कार्य को दक्ष विभाग/फ़र्म से समयबद्ध रूप से कराया जाय।

4– समिति के सदस्यगण द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर समुचित अनुश्रवण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश दिये गये–

(क) परियोजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता के समुचित अनुश्रवण के लिये जिला स्तर पर गठित समितियों को क्रियाशील करते हुए समयबद्ध रूप से बैठकें आहूत की जांय।
(ख) राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक कम से कम छः माह के अन्तराल में या आवश्यकतानुसार इससे पूर्व आहूत की जाय।

{कार्यवाहीः सम्बन्धित जिलाधिकारी/स्थानीय निकाय निदेशालय/नगर विकास विभाग/सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सम्बंधित नगर निकाय/उत्तर प्रदेश जल निगम}

5– अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन कानपुर पेयजल (इनर ओल्ड एरिया) परियोजना स्वीकृत मूल लागत ₹ 270.95 करोड़ (स्वीकृत पुनरीक्षित लागत ₹ 340.80 करोड़) के अन्तर्गत निर्मित 14 उच्च जलाशयों का निमार्ण पूर्ण हो गया है परन्तु प्रस्तावित 48.00 किमी. फीडर मेन का कार्य, जो परियोजना के अन्य कार्यों के साथ प्रारम्भ किया गया, की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है, जिसके कारण नगर में निर्मित 14 उच्च जलाशयों को चालू नहीं किया जा सका है तथा सम्बंधित फर्म का अनुबन्ध मात्र रिसाइन्ड करने के कारण अन्य एजेन्सी से डेविटेवल व्यवस्था से उक्त कार्य को पूर्ण कराने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की नियमानुसार वसूली न हो पाने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन अनियोजित प्रकार एवं लापरवाही से कराये जाने के लिये प्रथम दृष्टया

दोषी तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ. प्र. जल निगम श्री आर. के. गर्ग को निलम्बित करने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

{कार्यवाहीः उ. प्र. जल निगम}

6- समिति की गत बैठक दिनांक 12.05.2012 में अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निमार्णाधीन लखनऊ पेयजल (फेज-1,पार्ट-1) परियोजना स्वीकृत मूल लागत ₹ 388.61 करोड़ (स्वीकृत पुनरीक्षित लागत ₹ 454.66 करोड़) के अन्तर्गत बालागंज स्थित द्वितीय वाटर वर्क्स की क्षमता-वृद्धि हेतु प्रस्तावित अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए दो माह में चालू कराने के लिये दिये गये निर्देश से मुख्य अभियन्ता(लखनऊ क्षेत्र), उ. प्र. जल निगम श्री आर. के. खरे द्वारा अनभिज्ञता बतायी गयी तथा इसका मुख्य कारण वन विभाग द्वारा पाईप लाइन डालने की अनुमति न मिल पाना सूचित किया तथा उनके द्वारा उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों एवं अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में नहीं लाया गया। उक्त स्थिति के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में उदासीनता के लिये श्री आर. के. खरे, मुख्य अभियन्ता(लखनऊ क्षेत्र), उ. प्र. जल निगम को दोषी पाये जाने के लिये उनको निलम्बित करने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये के निर्देश दिये गये।

{कार्यवाहीः उ. प्र. जल निगम}

7- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत बैठक के एजेण्डा बिन्दु के निम्नांकित प्रस्तावों पर समिति द्वारा अनुमोदन/सहमति प्रदान की गईः-

(1) **शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यक्रम की बढ़ाई गई अवधि 2012-2014 में वर्ष 2013 से मार्च, 2014 तक यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्शों के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (इरमा) कार्य कराये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फर्म के चयन के प्रस्ताव।**

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत 33 परियोजनाएं के सापेक्ष निमार्णाधीन 29 परियोजनाओं तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देश के आधार पर चयनित 6 परियोजनाओं का भारत सरकार की अपेक्षानुसार इरमा कार्य कराये जाने के लिये एस.एल.एस.सी. के अनुमोदन की प्रत्याशा में गत बैठक दिनांक 12.05.2012 में अनुमोदित "रिक्वेस्ट फार प्रपोज़ल"(आर.एफ.पी.) पर भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु शार्टलिस्टेड फर्मों से प्रस्ताव (टेक्निकल एवं फाइनैन्शियल बिड्स) दिनांक 22.05.2013 तक आमन्त्रित किये गये है। प्राप्त 2 **फर्मों** {मैसर्स श्रीखण्डे कन्सल्टेन्ट्स, मुम्बई एवं मैसर्स एन.सी.पी.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., हैदराबाद के प्रस्ताव के टेक्निकल बिड्स **टेन्डर इवैलूएशन कमेटी** द्वारा बैठक दिनांक 23.05.2013 में गहन परीक्षण के पश्चात दोनों फ़र्मों के टेकनीकल प्रपोजल्स "टेकनीकली क्वालीफाइड" पाये गये। टेन्डर इवैलूएशन कमेटी की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में दोनों फर्मो-- मैसर्स श्रीखण्डे कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि.,नवी मुम्बई एवं मैसर्स एन.सी.पी.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि.,हैदराबाद की "फाइनैन्शियल बिड्स" उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर गठित "**परामर्शी मूल्यांकन समिति**" के समक्ष दिनांक 03.06.2013 की बैठक में खोली गयी तथा समिति द्वारा मैसर्स एन.सी.पी.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि.,

हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत दर प्रथम न्यूनतम् पायी गयी। परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा प्रथम न्यूनतम् निविदादाता फर्म मैसर्स एन.सी.पी.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि., हैदराबाद द्वारा इरमा कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित दर ₹ 48,500/- प्रति विजिट (रिपोर्ट), जो भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई। उक्त प्रस्ताव एस.एल.एस.सी. के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

{कार्यवाहीः स्थानीय निकाय निदेशालय/ शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार}

(2) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यक्रम के "ट्रान्जीशन फेज" के लिये यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत प्रस्तावित नई परियोजनाओं की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु अनुमोदित किये जाने के सम्बंध में।

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के "एक्स्टेन्डेड फेज" हेतु नई परियोजनाओं के सम्बंध में शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत प्रस्तावित की जाने वाली नई परियोजनाओं पर एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात ही स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। उक्त के क्रम में मिशन नगरों की निम्नलिखित 10 नई परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत ₹ 2682.28 करोड़ स्वीकृति हेतु सम्बंधित नगर निकाय द्वारा प्रस्तावित की गई है:-

(i) आगरा नगर में वैस्टर्न जोन, नार्दन जोन एवं सदर्न जोन-।। के आंशिक भागों हेतु सीवर हाउस-कनैक्टिंग चैम्बरों का निर्माण की परियोजना अनुमानित लागत ₹ 30.978 करोड़ में 24,304 नग हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों का निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ-

(क) लाभान्वित जनसंख्या - 4.20 लाख
(ख) सीवर गृह संयोजनों में वृद्धि- लगभग 75,000 नग
(ग) परियोजना के क्रियान्वयन से सीवेज श्राव में अपेक्षित वृद्धि - 50 एम.एल.डी.
(घ) नगर निगम के राजस्व में वार्षिक वृद्धि -लगभग ₹ 125 लाख।
(ड.) नगर के नार्दन एवं वैस्टर्न सीवरेज जान्स में यमुना कार्य योजना(द्वितीय चरण) एवं जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्रांच एवं लेटरल सीवर लाइन तथा सदर्न जोन-।। में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कराये गये सीवरेज कार्य जनोपयोगी हो जायेंगे।

(ii) आगरा सीवरेज फेस-।। पार्ट-।(नार्दन एवं वैस्टर्न जोन्स) परियोजना अनुमानित लागत ₹ 475.955 करोड़ में 4 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन्स, 1 नग (20 एम.एल.डी. क्षमता के) एस. टी.पी. {नार्दन ज़ोन में}, 201 किमी. सीवर लाइन एवं 7 किमी. राईज़िंग मेन्स के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ-

(क) लाभान्वित जनसंख्या - 6.11 लाख
(ख) सीवेज ट्रीटमेन्ट क्षमता में वृद्धि- 55 एम.एल.डी.
(ग) नगर निगम के राजस्व में वार्षिक वृद्धि - लगभग ₹ 150 लाख।

(घ) नगर के नार्दन एवं वैस्टर्न सीवरेज जोन्स के सम्पूर्ण क्षेत्र सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित हो जायेंगे।

(iii) <u>आगरा सीवरेज फेस-।। पार्ट-।। (ईस्ट जोन एवं सदर्न जोन-।।।) परियोजना</u> अनुमानित लागत ₹ 498.935 करोड़ में 7 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन्स, 2 नग (क्रमशः 20 एम.एल.डी. व 9 एम.एल.डी. क्षमता के) एस.टी.पी., 251 किमी. सीवर लाइन, 22 किमी. राईज़िंग मेन एवं 12,780 नग हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ-

(क) लाभान्वित जनसंख्या - 2.30 लाख
(ख) सीवेज ट्रीटमेन्ट क्षमता में वृद्धि - 29 एम.एल.डी.
(ग) नगर निगम के राजस्व में वार्षिक वृद्धि-लगभग ₹ 70 लाख।
(घ) नगर के ईस्ट जोन व सदर्न सीवरेज जोन-।।। के सम्पूर्ण क्षेत्र सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित हो जायेंगे।

(iv) <u>आगरा सीवरेज फेस-।। पार्ट-। (सदर्न जोन-। एवं सदर्न जोन-।।।) परियोजना</u> अनुमानित लागत ₹ 499.396 करोड़ में 2 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशनस, 2 नग (क्रमशः 16 एम.एल.डी. व 24 एम.एल.डी. क्षमता के) एस.टी.पी., 172 किमी. सीवर लाइन एवं 4 किमी. राईज़िंग मेन के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ--

(क) लाभान्वित जनसंख्या - 3.00 लाख
(ख) सीवेज ट्रीटमेन्ट क्षमता में वृद्धि- 40 एम.एल.डी
(ग) सीवर लाइन की लम्बाई में वृद्धि -252कि.मी.
(घ) नगर निगम के राजस्व में वार्षिक वृद्धि - लगभग ₹ 90 लाख।
(ड.) नगर के सदर्न जोन-। एवं सदर्न जोन-।। के सम्पूर्ण क्षेत्र सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित हो जायेंगे।

(v) <u>लखनऊ सीवरेज {डिस्ट्रिक्ट-4} (जोन-4) परियोजना</u> अनुमानित लागत ₹ 283.19 करोड़ में 1 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 1 नग (18 एम.एल.डी. क्षमता के) एस.टी.पी., 201.408 किमी. सीवर लाइन, 10304 मैन होल्स, 2 किमी. राईज़िंग मेन एवं 6,000 नग हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ--

(क) लाभान्वित जनसंख्या- 2.364 लाख(डिज़ाइन)
(ख) सीवेज ट्रीटमेन्ट क्षमता में वृद्धि- 18 एम.एल.डी.
(ग) सीवर लाइन की लम्बाई में वृद्धि - 201कि.मी.
(घ) परियोजना के क्रियान्वयन से परियोजना क्षेत्र, जो वर्तमान में सीवरेज सुविधा से वंछित है, सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित हो जायेंगे।

(vi) लखनऊ सीवरेज {डिस्ट्रिक्ट-।। पार्ट-।} (जोन-1) <u>परियोजना</u> अनुमानित लागत ₹ 306.07 करोड़ में 1 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 1 नग (63 एम.एल.डी. क्षमता के) एस. टी.पी., 126 किमी. सीवर लाइन, 0.10 किमी. राईज़िंग मेन एवं 7,000 नग हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ-

(क) लाभान्वित जनसंख्या - 1.787 लाख
(ख) सीवेज ट्रीटमेन्ट क्षमता में वृद्धि- 63 एम.एल.डी.
(ग) सीवर लाइन की लम्बाई में वृद्धि - 126 कि.मी.

(घ) नगर निगम के राजस्व में वार्षिक वृद्धि - लगभग ₹ 1316 लाख।

(ड़) परियोजना के क्रियान्वयन से परियोजना क्षेत्र, जो वर्तमान में सीवरेज सुविधा से वंछित है, सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित हो जायेंगे।

(vii) कानपुर नगर (वेस्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट){फेस-।।, पार्ट-।} पेयजल पुनर्गठन परियोजना अनुमानित लागत ₹ 478.23 करोड़ में 29.7 किमी. फ़ीडर मेन, 11 नग ज़ोनल रिजरवायर/पम्प हाउस, 16 नग उच्च जलाशय, 521.4 किमी वितरण प्रणाली, 2.94 किमी राईज़िंग मेन, 110220 नग हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ-

(क) लाभान्वित जनसंख्या-7.79 लाख

(ख) पेयजल दर में वृद्धि-90 एल.पी.सी.डी. से 150 एल.पी.सी.डी., अर्थात 60 एल. पी.सी.डी.

(ग) पेयजल आपूर्ति में वृद्धि- 40 एम.एल.डी. से 200 एम.एल.डी., अर्थात 160 एम.एल.डी.

(घ) पेयजल स्टोरेज क्षमता में वृद्धि-31350 के.एल.

(ड़) वितरण प्रणाली की लम्बाई में वृद्धि - 252 किमी. से 773 किमी. अर्थात 521 किमी.

(च) नगर निगम की राजस्व में वार्षिक वृद्धि- ₹ 786.95 लाख।

(viii) मेरठ ट्रीटेड सीवेज री-साईक्लिंग परियोजना अनुमानित लागत ₹ 72.707 करोड़ में मेरठ पेयजल परियोजना (निमार्णाधीन) हेतु अपर गंगा कैनाल से लिये जाने वाले कच्चे जल की प्रतिपूर्ति हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शोधित उत्प्रवाह को निकटतम् इरिगेशन कैनाल/डिस्ट्रीब्यूटरी में डालने के कार्य। परियोजना में प्रस्तावित कार्य निम्नवत है:-

(क) सम्प कम पम्पिंग स्टेशन- 8 नग

(ख) राइजिंग मेन- 30.85 कि.मी.

(ग) पम्पिंग प्लान्ट- 8 नग।

परियोजना के क्रियान्वयन से मेरठ नगर हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन मेरठ पेयजल परियोजना के लिये अपर गंगा कैनाल से 100 एम.एल.डी. कच्चा जल लिया जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति मेरठ नगर में निर्माणाधीन 72 एम.एल. डी. क्षमता की एस.टी.पी. एवं पूर्व में निर्मित अन्य 7 नग एस.टी.पी. (एस.बी.आर. एवं ए.एस.पी. तकनीकी पर आधारित) के शोधित प्रवाह को समुचित क्लोरीनेशन करने के उपरान्त सिंचाई विभाग की निकटतम कैनाल/डिस्ट्रीब्यूटरी में डाल कर जल की री-साईक्लिंग की जायेगी एवं यह शोधित उत्प्रवाह कृषि सम्बन्धित सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार एस. टी.पी. के शोधित उत्प्रवाह को नालों एवं नदी में वापस जाने एवं पुनः प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु लगाये गये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पर किया गया व्यय सार्थक होगा।

(ix) मेरठ पेयजल के अन्तर्गत नलकूपों एवं जोनल पम्पिंग स्टेशनों के ओटोमेशन की परियोजना अनुमानित लागत ₹ 11.043 करोड़ अनुमानित लागत ₹ 11.043 करोड़ में 73 नग नये नलकूप एवं 6 नये जोनल पम्पिंग स्टेशन तथा 3 पुराने जोनल पम्पिंग स्टेशन पर ओटोमेशन सम्बन्धित कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ--

(क) लाभान्वित जनसंख्या- 13.58 लाख

(ख) जल मात्रा के वास्तविक उत्पादन एवं खपत पर सही नियंत्रण रखा जा सकेगा। नगर निगम, मेरठ कार्यालय में स्थापित होने वाले मास्टर कम्प्यूटर से सभी दोषों की जानकारी के साथ-साथ सभी पम्प सेटों पर विधुत उपलब्धता, जल की मात्रा, जल स्तर की भी जानकारी हो सकेगी तथा कन्ट्रोल रूम से किसी भी पम्प सैट को चलाया या बन्द किया जा सकेगा। किसी भी पम्प में उत्पन्न दोष की सूचना कन्ट्रोल रूम के साथ-साथ सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को एस.एम.एस. के द्वारा मोबाईल पर भी प्राप्त होगी, जिससे दोषों को निवारण त्वरित गति से हो सकेगा। इस प्रणाली के लागू होने पर नलकूपों एवं जोनल पम्पिंग स्टेशनों के संचालन कार्य कम मैन पावर में हो सकेगें एवं श्रमिकों/कर्मचारियों पर होने वाला व्यय/निर्भरता भी कम होगी।

(x) मेरठ सीवरेज योजना जोन-5 एवं जोन-7 हेतु हाऊस कनेक्शन के कार्य की परियोजना अनुमानित लागत रू. 25.771 करोड़ में 15,000 नग हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निमार्ण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ-

(क) लाभान्वित जनसंख्या-4.004 लाख

(ख) सीवर गृह संयोजनों में वृद्धि- लगभग 30,000नग

(ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन मेरठ सीवरेज योजना जोन-5 एवं 7 के ब्रान्च सीवर एवं ट्रंक सीवर लाइन के सीवरेज कार्य जनउपयोगी हो जायेगें तथा नगर निगम के राजस्व में लगभग ₹ 50.00 लाख की वार्षिक वृद्धि होगी।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि परियोजनाओं का परीक्षण एवं अनुमोदन राज्य व्यय वित्त समिति से कराते हुए अविलम्ब स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जाय। तथा उक्त परियोजनाओं में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों हेतु भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाय।

{कार्यवाहीः उ. प्र. जल निगम/सम्बंधित नगर निकाय/ स्थानीय निकाय निदेशालय/शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार}

(3) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत मिशन नगरों की "सिटी डेवलप्मेंट प्लान" एवं स्वीकृत परियोजनाओं के "डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स" की रचना पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत प्रदेश के 7 मिशन शहरों (आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी व मथुरा) की "सिटी डेवलप्मेंट प्लान" (सी.डी.पी.) एवं इन नगरों हेतु स्वीकृत 33 परियोजनाओं के "डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स" (डी.पी.आर.) की रचना पर व्यय की प्रतिपूर्ति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशानिर्देश/टूल किट के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त टूल-किट में डी.पी.आर. की रचना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में निम्न बिन्दु विचारणीय हैः-

(क) टूलकिट के पैरा 4.3 में परियोजनावार उनकी स्वीकृत लागत का प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर डी.पी.आर. की रचना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की गणना की जाती है।

(ख) उक्त पैरा 4.3 में ही प्रति डी.पी.आर. विरचन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम् सीमा रू. 200,00,000/- निर्धारित की गई है।

उपरोक्तानुसार डी.पी.आर. एवं सी.डी.पी. के विरचन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावे, एस.एल.एस.सी. की स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जाने के लिये निर्देशित किया गया है।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

{कार्यवाहीः सी.एण्डडी.एस/उ. प्र. जल निगम/लखनऊ नगर निगम/सम्बंधित नगर निकाय/ स्थानीय निकाय निदेशालय/शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार}

(4) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की "इन्डीपेन्डेन्ट रिव्यू एण्ड मानीटरिंग एजेन्सी" (इरमा) का कार्य सितम्बर, 2009 से कार्यक्रम की अवधि मार्च, 2012 तक कराये जाने हेतु चयनित फ़र्म मैसर्स एम.एस.वी. इन्टरनेशनल इन्क., गुड़गाँव को उनके साथ किये गये अनुबंध के आधार पर फर्म द्वारा किये गये इरमा कार्य हेतु फ़र्म को किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन।

निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यक्रम के "यू.आई.जी" कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के वर्ष 2009 से मार्च 2012 (कार्यक्रम की अवधि की समापन) तक निर्माण कार्यों की स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुक्षवण (इरमा) कार्य कराये जाने के लिये "परामर्शी मूल्यांकन समिति" द्वारा बैठक 12.02.2008 में अनुमोदित "आर.एफ.पी." पर भारत सरकार द्वारा 'शार्टलिस्टेड' फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रथम न्यूनतम् निविदाता फ़र्म मैसर्स एम.एस.वी. इन्टरनैशनल इन्क., गुड़गाँव को नियुक्त किये जाने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दरें { ₹1,65,000/- प्रति प्रि-कान्स्ट्रक्शन स्टेज रिव्यू विज़िट एवं ₹ 30,006/- प्रति कान्स्ट्रक्शन स्टेज विज़िट} के अनुमोदन का प्रस्ताव एस.एल.एस.सी. द्वारा बैठक दिनांक 20.07.2009 एवं भारत सरकार की 'सेन्ट्रल सैंक्शनिंग एण्ड मानीटरिंग कमेटी' (सी.एस.एम.सी.) द्वारा बैठक दिनांक 24.07.2009 में प्रदान की गई। उक्त कार्य हेतु फ़र्म के साथ दिनांक 24.09.2009 को अनुबन्ध के परिप्रेक्ष्य में उक्त फ़र्म द्वारा 24.09.2009 से 31.3.2012 तक कुल 14 नग प्रि-कान्स्ट्रक्शन स्टेज रिव्यू विज़िट्स एवं 235 नग कान्स्ट्रक्शन स्टेज विज़िट्स की गयी। अतः कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अनुसार फ़र्म को ₹ 1,65,000/- प्रति प्रि-कान्स्ट्रक्शन स्टेज रिव्यू विज़िट एवं ₹ 30,006/- प्रति कान्स्ट्रक्शन स्टेज रिव्यू विज़िट की दर से कुल ₹ 93,61,410/- का भुगतान राज्य स्तरीय संचालन समिति की संस्तुति की प्रत्याशा में किया गया है। उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है। एस.एल.एस.सी. के अनुमोदन की प्रत्याशा में उपरोक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु दावा शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 24.75 लाख की प्रतिपूर्ति की गयी है तथा शेष ₹ 68,86,410/- के भुगतान की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्रतीक्षित है।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

{कार्यवाहीः स्थानीय निकाय निदेशालय/शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार}

बैठक के समापन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यगणों को बैठक में प्रतिभाग कर अपने बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित कराये जाने हेतु धन्यवाद दिया गया।

(सी. बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 3405/नौ-5-2013-386सा/08
लखनऊः दिनांक 31 जुलाई 2013-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 सांसद /विधायक, लखनऊ/कानपुर/आगरा तथा मेरठ।
2. मा0 महापौर, नगर निगम, लखनऊ/कानपुर/आगरा तथा मेरठ ।
3. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/नगर विकास/परिवहन/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आई.एफ़.डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
7. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/पर्यावरण विभाग।
13. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
15. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मथुरा।
16. टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
17. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
31/7/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।